


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

13/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, पाया कि प्रकरण विगत 04 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन पर्याप्ततम अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मन तामीली नहीं करवाई गई है, ऐसी सूरत में वादीगण को आगे ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आज वादी मय वकील उपस्थित नहीं हुए हैं, जिन्हें न्यायालय समय में तीन बार पृथक-पृथक समय में आवाजे दिलवाई गई। बावजूद उपस्थित नहीं होने पर वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा